न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.

मि0न0 – 56/2024

अनवान : –

1. विमला पुत्री मानसिंह जाति जाट निवासी सरदारगढिया त0 भादरा।
2. रोशनी पुत्री मानसिंह जाति जाट निवासी सरदारगढिया त0 भादरा।

वादीगण

बनाम

1. मानसिंह पुत्र हरचंद जाति जाट निवासी सरदारगढिया त0 भादरा।
2. मनरूप पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी सरदारगढिया त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री किशन लाल यादव वादी
श्री रोहताश सहारण प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 4 एमएसआर के खाता सं0 90/69 की कुल 2.2640है0 खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 के नाम व चक 4 एमएसआर के खाता सं0 91/68 की कुल 0.052है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/6 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादीगण अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवाने पाने के कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ने ईकबाल दावा प्रस्तुत किया व प्रतिवादी सं0 2 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादी सं0 3 की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने निवेदन किया कि वाद भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है। जिसमें प्रतिवादीगण के साथ–साथ वादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.30 16:07:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 4 एमएसआर के खाता सं0 90/69 की कुल 2.2640है0 खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 के नाम व चक 4 एमएसआर के खाता सं0 91/68 की कुल 0.052है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/6 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों में जमाबंदी पैतृक से उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है। जिसमें वादीगण के साथ–साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। पत्रावली में प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना अंकित है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 की पत्नी कमला को पत्रावली में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गुरूदत खण्डापा बनाम हीराबाई खण्डापा ए.आई.आर. 1978 सुप्रीम कोर्ट पेज न0 1239 तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा लिछमादेवी बनाम रामजीलाल आदि 122 आरआरडी 14.07.2008 पेज न0 478 के प्रकरण में पारित निर्णय के मध्यनजर वाद को आंशिक डीक्री किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 4 एमएसआर के खाता सं0 90/69 की कुल 2.2640है0 खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 के नाम व चक 4 एमएसआर के खाता सं0 91/68 की कुल 0.052है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/6 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 मानसिंह की बजाय वादीया सं0 1 विमला वादीया सं0 2 रोशनी प्रतिवादी सं0 1 मानसिंह प्रतिवादी सं0 2 मनरूप व कमला पत्नी मानसिंह को बहिस्सा बराबर अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। जमाबंदी में दर्ज गै0मु0 खाला–रास्ता एवं किस्म को यथावत रखा जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल में लाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली ... हो।

निर्णय आज दिनांक 27-08-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27-08-24

(ओ.पी. चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.30 16:07:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस

मि0न0 – 56/2024

अनवान : –

1. विमला पुत्री मानसिंह जाति जाट निवासी सरदारगढिया त0 भादरा।
2. रोशनी पुत्री मानसिंह जाति जाट निवासी सरदारगढिया त0 भादरा।

वादीगण

बनाम

1. मानसिंह पुत्र हरचंद जाति जाट निवासी सरदारगढिया त0 भादरा।
2. मनरूप पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी सरदारगढिया त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ ओ.पी.चन्देलिया उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री किशनलाल यादव व वकील प्रतिवादीगण श्री रोहताश सहारण की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 एमएसआर के खाता सं0 90/69 की कुल 2.2640है0 खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 के नाम व चक 4 एमएसआर के खाता सं0 91/68 की कुल 0.052है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/6 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 मानसिंह की बजाय वादीया सं0 1 विमला वादीया सं0 2 रोशनी प्रतिवादी सं0 1 मानसिंह प्रतिवादी सं0 2 मनरूप व कमला पत्नी मानसिंह को बहिस्सा बराबर अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। जमाबंदी में दर्ज गै0मु0 खाला–रास्ता एवं किस्म को यथावत् रखा जावें इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि [illegible] युक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया [illegible] रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27-08-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़)

27-08-24

(ओ.पी.चन्देलिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.30 16:07:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner